

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपरवण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री के इन्-द्वारा, 12A8

श्री शिवपुत्र शर्मा एच.ए. बनाम श्री श्री बरकतुल्लाह एच.ए. शर्मा

तदनुसार मुकदमा नं. 12A8
इस मुकदमा में शर्मा बरकतुल्लाह
शिवपुत्र शर्मा एच.ए. के
विरुद्ध मुकदमा नं. 12A8
शिवपुत्र शर्मा एच.ए. के
-वकील

1- शिवपुत्र शर्मा एच.ए. के
2- शिवपुत्र शर्मा एच.ए. के
3- शिवपुत्र शर्मा एच.ए. के
4- शिवपुत्र शर्मा एच.ए. के
5- शिवपुत्र शर्मा एच.ए. के
6- शिवपुत्र शर्मा एच.ए. के
-शिवपुत्र शर्मा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89-90-188(2)A


मुकदमा नम्बर 122 सन् 14 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई
व मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री
दी जाती हैं कि :-

वादी मुकदमा नं. 12A8
विरुद्ध मुकदमा नं. 12A8
शिवपुत्र शर्मा एच.ए. के
विरुद्ध मुकदमा नं. 12A8
शिवपुत्र शर्मा एच.ए. के

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व
सूलयाबी तक अदा करें ।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 7 माह 5 सन् 18


उपरवण्ड अधिकारी एच.
उपरवण्ड अधिकारी
सहायक जज
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

